

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी०एम०पी० संख्या-126/2019

मो० बसीर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती चंद्रिका तिवारी और अन्य

.....विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

याचिकाकर्ताओं के लिए: कोई नहीं।

आदेश संख्या 04 दिनांक 20.09.2019

याचिकाकर्ता की ओर से बार-बार बुलाने पर कोई उपस्थित नहीं हुए।

यह सिविल विविध याचिका याचिकाकर्ता के चूक के कारण खारिज कर दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०)